न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 20 / 2024

GCMS संख्या : 2024 / 73

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्री अयूब मोहम्मद पिता श्री हाजी मोहम्मद हुसैन निवासी बेडवा, परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. श्री अकरम पिता श्री हाजी मुहम्मद निवासी बेडवा, परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा
3. श्रीमती कोकिला पत्नी श्री कमलेश पटेल निवासी रैयाना तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1 श्री विनोद पिता स्व. श्री भेमा निवासी बेडवा, परतापुर तह. गढ़ीजिला बांसवाडा
2 श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री भेमा
3 श्रीमती पारी पत्नी स्व. श्री भेमा
4 श्री नानु पिता श्री धुलिया
5 श्री पन्ना पिता स्व. श्री हकरा निवासी बेडवा, परतापुर तह. गढ़ी जिला बांसवाडा
6 श्री शम्भु पिता स्व. श्री हकरा
7 श्री कन्हैया पिता स्व. श्री हकरा
8 श्री हिरा पिता स्व. श्री हकरा
9 श्री राजु पिता स्व. श्री हकरा
10 श्रीमती हजना बेवा स्व. श्री हकरा (मृत्यु)
11 श्री अनिल पिता स्व. श्री बापु निवासी बेडवा, परतापुर तह. गढ़ी जिला बांसवाडा
12 श्री प्रवीण पिता स्व. श्री बापु
13 श्रीमती नानी बेवा स्व. श्री बापु
14 श्री प्रेमशंकर पिता श्री रतनलालजी निवासी सावरिया फर्नीचर बेडवा, परतापुर तह. गढ़ी जिला बांसवाडा
15 श्री कान्तिलाल पिता श्री जयशंकर निवासी सावरिया फर्नीचर बेडवा, परतापुर तह. गढ़ी जिला बांसवाडा
16 श्री अखतर मोहम्मद पिता श्री हाजी मोहम्मद हुसैन निवासी बेडवा, परतापुर तह. गढ़ी जिला बांसवाडा
17 श्री ईसाक मोहम्मद पिता श्री अगीर मोहम्मद निवासी निवासी सावरिया फर्नीचर बेडवा, परतापुर तह. गढ़ी जिला बांसवाडा
18 तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा

उपस्थित

श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता अपीलांट्स सं. 1 से 3

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं. 10

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 13–05–2026

अपीलांट्स ने तहसीलदार तहसील गढी के आदेश एवं संशोधित आदेश दिनांक 12.09.2024 अन्तर्गत प्रकरण सं. 1 / 2017 उनवान श्री भेमा व अन्य बनाम श्री प्रेमशंकर व अन्य में धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली के आदेश जारी किये है। उक्त आदेश से अप्रसन्न, असंतुष्ट व व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील के संलग्न अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता संलग्न कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् निवेदन किया।

अपील का संक्षिप्त विवरण बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री अकरम एवं श्रीमती कोकिला प्रकरण में पक्षकार नही है। तहसीलदार गढी ने उक्त

अपीलान्ट को प्रकरण का कोई नोटिस नही दिया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कई न्यायिक दृष्टांतों में यह व्यवस्था दी है कि, किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व सूनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि संबंधित पक्षकार को सुने बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश गैर कानूनी व अवैद्य है। तहसीलदार गढी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित निर्णय पारित किया है।

तहसीलदार गढी द्वारा निर्णय में प्रकरण में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के नामो का उल्लेख नही किया है। प्रकरण में प्रार्थीगण कौन एवं अप्रार्थीगण कौन है, इसकी जानकारी नही होती है। निर्णय में शीर्षक लिखना आवश्यक है। निर्णय के अंतिम पेरा में अप्रार्थीगण को आदेशित करने का उल्लेख किया है। लेकिन यह अप्रार्थीगण कौन है इसका कोई उल्लेख निर्णय में नही है। तहसीलदार गढी द्वारा पारित निर्णय का किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रभावी निष्पादन नही किया जा सकता है। निर्णय आधारहीन होकर काबिल खारजी है। तहसीलदार गढी द्वारा आदेश एवं संशोधित आदेश दो अलग–अलग निर्णय पारित किये है। निर्णय को मात्र दो पेरेग्राफ मे लिखा जाकर बेदखली का कोई आधार नही बताया है। आदेश स्पीकिंग आदेश नही होने से काबिल खारजी है।

प्रार्थी श्री मणिया पिता धुलिया आदिवासी निवासी बेडवा की मृत्यु वर्ष 2020 में हो चुकी है अर्थात प्रार्थी संख्या 2 मणिया की मृत्यु निर्णय से पूर्व हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 2 का कोई प्रतिनिधित्व पत्रावली पर नही है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गढी ने मृत प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया है, जो गैर कानूनी व अवैद्य होकर काबिल खारजी है। प्रार्थी संख्या 1 भेमा की मृत्यु हो चुकी है, उसके उत्तराधिकारीयो को प्रकरण में कायम मुकाम नही किया गया है। जिससे सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र का उपशमन हो चुका है एवं निर्णय मृत प्रार्थी भेमा एवं मणिया के पक्ष में होने से काबिल खारजी है।

अप्रार्थी संख्या 2 हाजी मोहम्मद हनीफ पिता अब्दुल करीम लखारा की मृत्यु दिनांक 15.12.2020 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 5 अख्तर मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। विद्वान तहसीलदार गढी द्वारा मृत अप्रार्थी श्री हाजी मोहम्मद हनीफ एवं अख्तर मोहम्मद की निर्णय से पूर्व मृत्यु हो जाने एवं इनके उत्तराधिकारीयों को पक्षकार बनाये बिना तथा उक्त अप्रार्थीगण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पत्रावली पर नही है। तहसीलदार गढी द्वारा मृत अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है।

प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खातेदारी का सर्वे नम्बर 2669/2863 रकबा 0.02 हैक्टेयर वाके ग्राम बेडवा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.) का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं हैं तथा राजस्व रेकार्ड नक्षा ट्रेस में उक्त भूमि का कोई तरमीम नही है। नक्षा ट्रेस में तरमीम नही होने से भूमि गांव बेडवा में कहा पर स्थिति है, उसका ज्ञान नही किया जा सकता है। ग्राम बेडवा में उक्त सर्वे नम्बर का रकबा 0.02 हैक्टेयर अर्थात् 200 वर्गमीटर भूमि कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हैं। अप्रार्थीगण को जहां तक जानकारी हैं। उक्त सर्वे

नम्बर की भूमि कालान्तर में डूंगरपुर–बांसवाड़ा मुख्य सडक की भूमि में समायोजित हो गई हैं एवं मौके पर कोई अस्तित्व नही है। प्रार्थीगण ने मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज होने के आधार पर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि जिसमें अपीलान्ट की दुकान एवं मकान बने हुए है को उक्त सर्वे नम्बर की भूमि बताकर झुठा व बनावटी प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वस्तुतः ग्राम बेडवा की आबादी में एवं अप्रार्थीगण के मकानो के आस–पास कोई कृषि भूमि नहीं हैं। वर्षो से ग्राम बेडवा की आबादी में किसी भी भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा हैं। तथाकथित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 2669/2863 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि में पिछले 40–50 वर्षो में कभी कृषि कार्य नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण जिस भूमि को अपनी भूमि बता रहे है, वह भूमि सर्वे नम्बर 1770 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। आबादी भूमि के संबंध में तहसीलदार गढी द्वारा क्षैत्राधिकार से परे निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि सर्वे नम्बर 2669/2862 रकबा 2.80 हैक्टेयर, वाके ग्राम बेडवा में ग्राम पंचायत खेरन का पारडा द्वारा भूखण्डो की निलामी के द्वारा विक्रय किया गया हैं। अपीलान्ट एवं अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि क्रय कर मकान बनाये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि निम्नानुसार क्रय की हैं।

1. हाजी मोहम्मद हनीफ द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से जरिये निलामी ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 11 दिनांक 14/06/1964 के द्वारा जरिये पट्टा संख्या 3 दिनांक 14/06/1964 के द्वारा भूखण्ड साईज पूरब से पश्चिम 30 फीट, उत्तर से दक्षिण 52 फीट क्रय की गई हैं। उक्त भूखण्ड के उत्तर में परतापुर–बांसवाड़ा मुख्य सडक स्थित हैं जो वर्तमान में स्टेट हाईवे संख्या 927ए हैं।
2. ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से जरिये निलामी ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 11 दिनांक 14/06/1964 के द्वारा जरिये पट्टा संख्या 5 दिनांक 14/06/1964 के द्वारा भूखण्ड साईज पूर्व से पश्चिम 30 फीट, उत्तर से दक्षिण 52 फीट अप्रार्थी के पिता स्व. श्री मोहम्मद हुसैन पिता श्री अब्दुल हुसैन द्वारा क्रय की गई हैं। उक्त भूखण्ड के उत्तर में परतापुर–बांसवाड़ा मुख्य सडक स्थित हैं जो वर्तमान में स्टेट हाईवे संख्या 927ए हैं। स्व. श्री मोहम्मद हुसैनजी ने उक्त भूखण्ड को दो हिस्सो विभक्त कर अपने पुत्र अपीलान्ट/अप्रार्थी संख्या 4 अयुब मोहम्मद एवं अप्रार्थी संख्या 5 अख्तार मोहम्मद में विभाजित कर उनके मकान बने हुए हैं। भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति भी प्राप्त की हैं।
3. इसाक मोहम्मद अप्रार्थी संख्या द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से जरिये निलामी ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 58 के संकल्प संख्या 11 दिनांक 14/06/1964 के द्वारा जरिये पट्टा संख्या 1 दिनांक 14/06/1964 के द्वारा भूखण्ड साईज पूर्व से पश्चिम 30 फीट, उत्तर से

दक्षिण 52 फीट क्रय की गई हैं। उक्त भूखण्ड के उत्तर में परतापुर–बांसवाड़ा मुख्य सडक स्थित हैं जो वर्तमान में स्टेट हाईवे संख्या 927ए हैं। पट्टे का रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र तत्कालीन सरपंच श्री हिरालाल चरपोटा द्वारा निष्पादित कर पंजीयन कराया गया हैं। श्री अमीर मोहम्मदजी ने अपने जीवनकाल में भवन का निर्माण ग्राम पंचायत खेरन का पारडा से स्वीकृति प्राप्त कर किया हैं। श्री अमीर मोहम्मदजी का स्वर्गवास हो गया हैं तथा उक्त मकान पर उनके उत्तराधिकारी एवं अप्रार्थी इसाक मोहम्मद पुत्र होने से काबिज हैं।

ग्राम बेडवा की वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार सर्वे नम्बर 2669/2862 रकबा 2.80 हैक्टेयर किस्म आबादी ग्राम पंचायत दर्ज हैं। अपीलान्ट के मकान व दुकान उक्त सर्वे नम्बर की भूमि जिसका पुराना सेटलमेन्टी सर्वे नम्बर 1770 की भूमि में बने हुए हैं। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तृतीय अनुसूचि में विनिर्दिष्ट प्रकार के सब वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने व निर्धारित किये जायेगे। धारा 183बी तृतीय अनुसूची के क्रम संख्या 68 ग में वर्णित हैं। धारा 183बी एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित धाराओं के वाद एवं आवेदन मात्र कृषि भूमि के लिए हैं। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि दर्ज होने से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का यह प्रार्थना पत्र भूमि की किस्म आबादी भूमि होने से विधि द्वारा प्रार्थना पत्र वर्जित होने से काबिल खारजी है।

प्रार्थी अपीलान्ट की दुकान एवं मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि सर्वे नम्बर 2669/2862 के भाग पर बने हुए है। प्रार्थी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2669/2863 पर किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में अतिक्रमण नही किया है। वस्तुतः उक्त सर्वे नम्बर की भूमि बांसवाडा–परतापुर सड़क में विलीन हो गई है। वर्तमान नक्षा ट्रेस में उक्त सर्वे नम्बर का तरमीम नही हुआ है। पटवारी एवं गिरदावर द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत की गई, मौका रिपोर्ट का कोई आधार नही है। चूंकि सर्वे नम्बर 2669/2863 का नक्षा ट्रेस में तरमीम नही है ऐसी अवस्था में पटवारी एवं गिरदावर द्वारा सीमाकंन किया जाना संभव नही है तथा ऐसा सीमाकंन मानने योग्य नही है। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2017 में अपीलान्ट का अतिक्रमण नही बताया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2021 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसमें गांव बेडवा का सर्वे नम्बर 2669/2863 की भूमि सड़क सीमा में आना स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। तहसीलदार द्वारा गठित जांच टीम द्वारा मौका पर्चा दिनांक 11.09.2024 को तैयार किया गया है। जिसमें पूर्व की रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्ट देकर अपीलान्ट का अतिक्रमण बता दिया है। इस प्रकार पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा समय–समय पत्र अलग–अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिससे समस्त रिपोर्ट विश्वसनीय नही है। तहसीलदार गढी द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तथ्यो के विपरित निर्णय कर कानूनी भूल की है।

रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की दादरसी नही मांगी गई है। वाद पत्र के कथनो के विपरित एवं जिन व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय से दादरसी नही मांगी गई है, उन व्यक्ति अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

अतः निवेदन है कि, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें एवं निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2024 तहसीलदार गढी को निरस्त फरमावें।

दिनांक 18.10.2024 को अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को नोटिस जारी किये गए। दिनांक 14.11.2024 को रेस्पोडेंट सं. 1 से 9 व 11 से 18 के नोटिस बाद तामील पेश हुए। रेस्पोडेंट सं. 10 श्रीमती हजना बेवा स्व. हकरा का नोटिस इस आशय की रिपोर्ट के साथ कि उनकी मृत्यु हो जाने से अदम तामील पेश हुआ।

दिनांक 30.01.2025 को अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. बाबत् रेस्पोडेंट सं. 10 श्रीमती हजना का नाम अपील शिर्षक से हटाने बाबत् व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी रेकार्ड पर दस्तावेज लिए जाने एवं रेस्पोडेंटस सं. 18 तहसीलदार गढी से समर्पण दस्तावेज तलब करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 9 व 11 से 17 के नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने के उपरान्त भी रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 9 व 11 से 17 दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने कथन किया कि श्रीमती हजना के पुत्र रेस्पोडेंट सं. 5 से 9 पत्रावली पर पूर्व से ही रेकार्ड पर है। अतः पृथक से उत्तराधिकारियो का कायम मुकाम करना आवश्यक नही है। राजकीय अधिवक्ता की ओर से इस पर अनापत्ति जाहिर की गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट सं. 10 श्रीमती हजना का नाम विलोपित करने स्वीकृति प्रदान की गई।

दिनांक 06.03.2026 को अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस का सार पेश किया। जिसमें अपील मैमो अनुसार बिन्दुओ को दौहराते हुए मुख्य रुप से यह उल्लेखित किया कि –

श्री अकरम एवं श्रीमती कोकिला प्रकरण में पक्षकार नही है। तहसीलदार गढी ने उक्त अपीलान्ट को प्रकरण का कोई नोटिस नही दिया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कई न्यायिक दृष्टांतों में यह व्यवस्था दी है कि, किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व सूनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि संबंधित पक्षकार को सुने बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश गैर कानूनी व अवैद्य है। तहसीलदार गढी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो

के विपरित निर्णय पारित किया है। तहसीलदार गढी के निर्णय का परिक्षीलन करने से यह आभास होता है कि, तहसीलदार गढी ने प्रकरण में वादी बनकर निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय सुनवाई का अवसर नही दिये जाने के आधार पर ही काबिल खारजी है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत निम्न है :–

अ. 2011–12 (सप्लीमेन्ट) आर.आर.टी. पेज 673
Imp. Point :- Order passed without giving notice to opposite party is not sustainable.

ब. 2018 डी.एन.जे. पेज 1422 सुप्रीम कोर्ट
Imp. Point :- Order passed in violation of principle of natural justice is not sustainable in the eye of law.

स. 2021(2) डी.एन.जे. पेज 733 राजस्थान
Imp. Point :- No order can be passed without giving opportunity of hearing to opposite party.

अप्रार्थी संख्या 2 हाजी मोहम्मद हनीफ पिता अब्दुल करीम लखारा की मृत्यु दिनांक 15.12.2020 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 5 अख्तर मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। विद्वान तहसीलदार गढी द्वारा मृत अप्रार्थी श्री हाजी मोहम्मद हनीफ एवं अख्तर मोहम्मद की निर्णय से पूर्व मृत्यु हो जाने एवं इनके उत्तराधिकारीयों को पक्षकार बनाये बिना तथा उक्त अप्रार्थीगण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पत्रावली पर नही है। तहसीलदार गढी द्वारा मृत अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है। जो गैर कानूनी होकर काबिल निरस्ती है।

न्यायिक दृष्टांत एवं कानूनी स्थिति निम्नानुसार है।

अ. मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। 2019 डी.एन. जे. रेवेन्यु पेज 271योगराज व अन्य बनाम रेखा देवी व अन्य

मृत व्यक्तियों के विरूद्ध वाद पेश किया – प्रतिवादीगण की मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व हुई – मृत व्यक्तियों के वारिसन के नाम पेश करना वादी की जिम्मेदारी है तथा प्रतिवादी को निर्देश नही दिया जा सकता। निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा वारिसान के नाम पेश करने का वादी को निर्देश देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।

ब. मृत प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पेश करने पर आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान लागु नही होते है। दावा पेश करने हेतु मृत प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नही होता है। इस सिद्धांत को 2016 डी.एन.जे. रेवेन्यु पेज 184 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है।

Suit against a dead person not coverd under order 22 Rule 4 C.P.C. and it was a nullity.

स. मृत प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय काबिल निरस्ती है। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा पेश करने से पूर्व हो चुकी है। अतः निर्णय मृत प्रतिवादीगण के विरूद्ध माना जायेगा। आदेश 22 सी.पी.सी के प्रावधान लागु नही होते है। न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार है।

2011–12 (सप्लीमेन्ट) आर.आर.टी. पेज 703

Order passed against a dead person is nullity.

द. मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री गैर कानूनी है। न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार है।

2016(2) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 927

Order passed against a dead person is illegal and not sustainable.

य. 2017(2) आर.आर.टी. पेज 1047 सुप्रीम कोर्ट

Imp. Point :- Judgment passed against a dead person is without jurisdiction nullity.

B. Decree passed by the Court, if it is a nullity, its validity can be questioned in any proceeding including in execution proceedings or even in collateral proceedings whenever such decree is sought to be enforced by the decree holder.

अतः निवेदन है कि, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें एवं निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2024 तहसीलदार गढी को निरस्त फरमावें। यदि माननीय न्यायालय द्वारा विधिक बिन्दुओ पर निर्णय नही होना माना जाने पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का अधिकार है।

दिनांक 13–05–2026 को अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रमुख रुप से यह कि श्री मणिया पिता धुलिया आदिवासी निवासी बेडवा की मृत्यु वर्ष 2020 में हो चुकी है अर्थात प्रार्थी संख्या 2 मणिया की मृत्यु निर्णय से पूर्व हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 2 का कोई प्रतिनिधित्व पत्रावली पर नही है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गढी ने मृत प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया है, जो गैर कानूनी व अवैद्य होकर काबिल खारजी है। प्रार्थी संख्या 1 भेमा की मृत्यु हो चुकी है, उसके उत्तराधिकारीयो को प्रकरण में कायम मुकाम नही किया गया है। जिससे सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र का उपशमन हो चुका है एवं निर्णय मृत प्रार्थी भेमा एवं मणिया के पक्ष में होने से काबिल खारजी है।

अप्रार्थी संख्या 2 हाजी मोहम्मद हनीफ पिता अब्दुल करीम लखारा की मृत्यु दिनांक 15.12.2020 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 5 अख्तर मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। विद्वान तहसीलदार गढी द्वारा मृत अप्रार्थी श्री हाजी मोहम्मद हनीफ एवं अख्तर मोहम्मद की निर्णय से पूर्व मृत्यु हो जाने एवं इनके उत्तराधिकारीयों को पक्षकार बनाये बिना तथा उक्त अप्रार्थीगण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पत्रावली पर नही है। तहसीलदार गढी द्वारा मृत अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है।

अतः निवेदन है कि, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें एवं निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2024 तहसीलदार गढी को निरस्त फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि दिनांक 13.10.2017 को श्री भेमा पिता धुलिया व अन्य ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

के तहत प्रस्तुत किया था। जो पटवारी हल्का बेडवा को राजस्व रेकार्ड व मौके की जांच हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 16.11.2017 को पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नियमानुसार दोनो पक्षो की सुनवाई की जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.09.2024 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 20/2019 उनवान मौहम्मद हनिफ वगैरा बनाम तहसीलदार गढी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आदेश दिनांक 19.12.2019 की पालना में तहसीलदार द्वारा उनके आदेश क्रमांक राजस्व/ 2024/ 882 दिनांक 10.09.2024 से मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए राजस्व टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा तैयारशुदा मौका पर्चा दिनांक 11.09.2024 के आधार पर गांव बेडवा खसरा सं. 2669/2863 में श्री अकरम पिता हाजी मुहम्मदअली लखारा का 240 वर्गफीट व 150 वर्गफीट, अयुबखान पिता हाजी मुहम्मद लखारा का 150 वर्गफीट, कोकिला पत्नि कमलेश पटेल का 120 वर्गफीट व 75 वर्गफीट भाग कब्जा दर्शाया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गढी द्वारा उक्त निर्मित कब्जे शुदा भाग से निर्माण हटाने एवं प्रार्थीगण को कब्जा सुपूर्द करने आदेशित किया गया है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को अकरम पिता हाजी मुहम्मद व कोकीला पत्नी कमलेश पटेल को नियमानुसार को सुनवाई अवसर दिया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2024 के मौका पर्चा के आधार पर एक दिन पश्चात् दिनांक 12.09.2024 को अपीलांट्स के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरुप किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है। तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी सं. 2 व 3 को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2024 को अपास्त कर अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए तहसीलदार गढी को निर्देशित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाता है। अप्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.05.2026 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)